न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), निवाई जिला टोंक

प्रार्थना पत्र संख्या .08... वर्ष 2025

गोपाल बनाम नेहनुलाल वगै.

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामील में जारी हुए
19.02.2025	मूल वाद के साथ प्रार्थी गोपाल लाल वर्मा ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यालय की रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे प्रबल प्रतीत होता है अतः अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 को जरिये अस्थाई निषेद्याज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि वाद ग्रस्त भूमि ख0न0 4652/6 वाके ग्राम झिलाय पटवार हल्का झिलाय तहसील निवाई में आगामी पेशी तक उक्त ख.न. को रहन दान बेचान विकय हस्तान्तरण नही करे, कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की बाधा मजाहमत दखलअन्दाजी आदि नही करे एवं भूमि को किसी भी रूप में खुर्द बुर्द नष्ट भष्ट नही करे तथा मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। तलबी अप्रार्थीगण की जरिये रजि. ऐडी की जाकर पत्रावली दिनांक 20.03.2025 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (फास्टट्रेक) निवाई	
6/3/25	मूलवाद में पत्रावली तलब व वाद पत्र विद्रो किये जाने व वकील नाना नोटिस चौधरी Adv का पेश होने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी वकील उपस्थित प्रार्थी वकील ने आदेशिका पर नोटप्रेस अंकित कर हस्ताक्षर करवाये शेष वादी का वाद नोटप्रेस में दाखिल किया जा चुका है अतः TI प्रार्थना-पत्र चलने का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नोट प्रेस में दाखिल किया जाता है। पत्रावली फैसल हाशिया नाबा-ए-रूजू की जाकर दाखिल दफ्तर हो। 06-03-25 सहायक कलेक्टर (फास्टट्रेक) निवाई	Not Press गोपाल लाल वर्मा gd

Scanned with OKEN Scanner